राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालय मुख्य प्रबन्धक, सिरोही आगार,–307001

फोन नं0 02972–222511 / ईमेल आईडी.rsrtc.cmsrh@yahoo.com

क्रमांक :–मु.प्र. / सिरोही / संस्था– II / 2026 / 865 दिनांक :– 14.08.2026

पंजीकरण संस्था / भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति मे भूतपूर्व सैनिक / सिविल सुरक्षा प्रहरी की सर्विस अनुबन्ध पर लेने हेतु बोली आमंत्रण

बोली आमंत्रण सूचना संख्या 865 / 2026–27 निगम द्वारा सिरोही आगार में एक वर्ष की अवधि के लिये सरकार से मान्यता प्राप्त पंजीकृत संख्या / भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति अनुमानित 05 सिविल सुरक्षा प्रहरी अनुबंध पर लेने हेतु ई– बोली के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में ई–बोली प्रक्रिया ऑन लाईन बोलियां आमंत्रित की जाती है। बोली से सम्बन्धित विस्तृत विवरण निगम की वेबसाईट **www.rsrtc.rajasthan.gov.in** व **https://eproc.rajasthan.gov.in** व स्टेट पोर्टल (SPPP) पर देखा जा सकता है :–

बोली सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं	बोली सम्बन्धित विवरण	दिनांक व समय
1	बोली सूचना जारी होने की दिनांक	दिनांक 14.08.2026 समय 11.00 बजें
2	बोली दस्तावेज शुल्क (अप्रतिदेय) (मुख्य प्रबन्धक RSRTC सिरोही आगार को देय)	500 / –रूपये (पांच सौ रूपये मात्र) एंव जीएसटी 18 प्रतिशत
3	बोली प्रतिभूति (मुख्य प्रबन्धक RSRTC सिरोही आगार को देय)	19000 / –रूपये अक्षरे उन्नीस हजार मात्र
4	बोली प्रोसेसिंग शुल्क (अप्रतिदेय) (M.D RISL JAIPUR को देय)	500 / – रूपये (पांच सौ रूपये मात्र)
5	बोली दस्तावेज Upload करने की अवधि एवं समय	दिनांक 15.08.2026 समय 11:00 बजे से
6	प्री–बिड मीटिंग की दिनांक व समय	–
7	बोली प्रस्तुत / Upload करने की अंतिम दिनांक एंव समय	दिनांक 24.08.2026 समय 11:00 बजे तक
8	तकनीकी बोली प्रस्ताव खोले जाने की दिनांक व समय	दिनांक 24.08.2026 समय 15:00 बजे तक
9	बिन्दु संख्या 2, 4, से संबंधित **DD** एंव बिन्दु संख्या 3 से संबंधित **DD/BG/FDR** प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	दिनांक **24.08.2026** समय **11:00** बजे तक

नोट :–

1. सर्विस अनुबन्ध पर लिये जाने वाले अनुमानित सुरक्षा प्रहरियों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित है।
2. बोली की समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन होगी।
3. बोली खोलने की तिथि को किसी कारणवश कोई अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय बोलियां खोली जाऐगी।
4. निविदा दाता निगम को माननीय उच्च न्यायालय के अधीन निगम से सबंधित निर्णित व स्थगन याचिकाओं के अन्तर्गत 03 सुरक्षा प्रहरियों को शामिल करते हुए शेष 02 सुरक्षा प्रहरी भू0पू0 सैनिक अथवा सिविल सुरक्षा प्रहरी अनुबंध पर उपलब्ध कराने का निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता हे।

Chief Manager
R.S.R.T.C. SIROHI

Scanned with OKEN Scanner

5. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति सुरक्षा प्रहरियों की सेवा पूर्णतः सर्विस अनुबन्ध पर प्रदान करने हेतु ई–बोली के माध्यम से बोली प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। अनुबन्ध पर सुरक्षा प्रहरीयो की सेवाऐं **मुख्य प्रबन्धक RSRTC सिरोही आगार** में ली जावेगी।
6. बोली दस्तावेज डाउनलोड/आवेदन करते समय बोली दस्तावेज शुल्क 590/–रूपये (कर सहित) एंव बोली प्रोसेसिंग शुल्क 500/–रूपये की DD एंव बोली प्रतिभूति घोषणा/बोली प्रतिभूति राशि 19000/– रूपये (अक्षरे उन्नीस हजार.रूपये मात्र) की DD/BG/FDR दिनांक एवं बैंक का नाम व ब्रांच का विवरण अंकित करें।
7. बोली लगाने वाले द्वारा बोली शुल्क/प्रोसेसिंग शुल्क/बोली प्रतिभूति राशि का DD/BG/FDR इस कार्यालय में दिनांक 24.08.2026 को समय 11:00 बजे तक जमा कराना आवश्यक है।
8. कोई भी बोलीदाता ऑनलाईन जमा कराने में किसी कारणवश लेट होता है तो उसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
9. बोलियों में भाग लेने वाले बोली लगाने वालों को इन्टरनेट साईट https://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाईन बोली में भाग लेने के लिये डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो ईलेक्ट्रोनिक बोली में साईन करने हेतु काम आयेगा। बोली दातां उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी. सी.ए (C.C.A) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन बोली लगाने वाले के पास वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, उनको नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
10. बोली लगाने वाले द्वारा बोली शुल्क एवं बोली प्रतिभुति राशि **19000 /– रूपये (अक्षरे उन्नीस हजार)** को DD/एफ.डी (बोली प्रतिभुति राशि के लिये बैक गारंटी (वैधता अवधि 90 दिवस) भी स्वीकार्य है) द्वारा जमा करानी होगी तथा बोली प्रोसेसिंग शुल्क एम.डी.आर.आई.एस.एल. के नाम डी. डी. देय होगी। यदि बोली लगाने वाले द्वारा दिनांक **24.08.2026. को समय 11:00 बजे** तक उक्त DD/BG/FDR प्रस्तुत नहीं की जाती है (scanned copy to be upload with bid document) तो प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होगा। उक्त की scanned copy बोली दस्तावेज के साथ अपलोड की जानी होगी।
11. इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बोली लगाने वाला यह सुनिश्चित कर लें कि बोली प्रपत्रों से संबधित सभी आवश्यक दस्तावेज की स्केन कॉपी प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी है।
12. ऑनलाइन बोलियां निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जावेगी।
13. बोली दस्तावेजों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाइन दर्ज करावे।
14. बोली (बिड) की वैद्यता 90 दिवस होगी।

14/08/26

मुख्य प्रबन्धक
रा.रा.प.प.निगम
सिरोही आगार

मुख्य प्रबन्धक
रा. रा. प. प. निगम, सिरोही

—:: निविदा प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक शर्तें ::—

1. सर्विस अनुबंध पर लिये जाने वाले सुरक्षा प्रहरियों की संख्या निगम की आवश्यकता के अनुसार कम अथवा अधिक हो सकती हैं।
2. बोली लगाने वाली पंजीकृत संस्था/भूतकपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति को
   - **A.** निजी सुरक्षा एजेन्सिया विनियम अधिनियम 2005 **(PSARA)** में पंजीकृत हो,
   - **B.** एक वर्ष में किसी एक माह में सरकारी/सहकारी/अर्धसरकारी/निगम/बोर्ड/संस्थाओं को सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध कराने के अनुभव हो एवं इस दौरान EPFO में अंशदान जमा करवाया गया प्रमाण पत्र स्वरूप उक्त अनुसार किसी एक माह की ECR की सत्यापित प्रति (न्यूनतम 100 मानव संसाधन) (मैन पॉवर) का अंशदान जमा कराये जाने की) संलग्न की जावे।
   - **C.** Provident Fund/ESI, ISO Certificate.
   - **D.** तीन वर्ष की आयकर रिटर्न की प्रतिलपि, बोली प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी। संस्था का गत तीन वर्ष का वार्षिक टर्नओवर औसतन 350000रु (निविदा लागत का 50 प्रतिशत) होना चाहिये।

   यदि बोली लगाने वाला/कम्पनी/संस्था द्वारा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न नही किये जाते है अथवा प्रदत्त सूचना असत्य और अपूर्ण पाई जाती है, तो इसे अयोग्यता मानते हुए उनके प्रस्ताव को निरस्त/अस्वीकार करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा।

3. बोली के साथ बोली प्रतिभूति राशि (कुल व्यय राशि का 2 प्रतिशत 14000/—रुपये (अक्षरे चौदह हजार रुपये मात्र) की डी.डी. मुख्य उत्पादन प्रबंधक के नाम से संलग्न करनी होगी। चैक एवं नकद राशि किसी भी अवस्था में मान्य नहीं होगी। यह राशि जमा न होने की दशा में बोली स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। यह राशि प्राप्त बोली पर स्वीकृति हेतु निर्णय होने तक निगम कोष में जमा रहेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा तथा अस्वीकृत बोलियों की राशि, बोली पर अन्तिम निर्णय होने के उपरान्त ही बिना ब्याज के लौटायी जावेगी।
4. प्रति सिविल सुरक्षा प्रहरी कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि 10000रु. (देय पारिश्रमिक अनुसार) एवं प्रतिभूति पूर्व सैनिक सुरक्षा प्रहरी कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि 18370 रु. डी.डी./बैंक गारण्टी/एफडी आर के रूप के निगम के नाम से बनाकर कार्यालय में जमा करवाना होगा एवं निगम द्वारा प्रस्तुत अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करके इस कार्यालय से अनुबन्ध करना होगा। बैंक गारण्टी/एफडीआर की वैधता अवधि 15 माह होगी। उक्त राशि निगम कोष में बिना ब्याज जमा रहेगी, जो अनुबन्ध की शर्तों की समुचित पालना के पश्चात् एवं अनुबन्ध अवधि समाप्त होने पर बिना ब्याज के लौटाई जावेगी। यदि बोली लगाने वाला, प्रस्ताव स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस में निर्धारित कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है एवं निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध नहीं करता है तो उसके द्वारा जमा कराई गई बोली प्रतिभूति राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी।
5. प्रति भूतपूर्व सुरक्षा प्रहरी की सेवा हेतु निर्धारित मासिक पारिश्रमिक राशि 18370/—रुपये प्रतिमाह देय होगी एवं सिविल सुरक्षा प्रहरी की सेवा हेतु निर्धारित पारिश्रमिक राशि 10000/—रुपये प्रतिमाह जिस पर पी.एफ व ई एस आई का भुगतान नियमानुसार देय होगा एवं सर्विस चार्ज की दर बोली के अनुसार देय होगी तथा जी एस टी का भुगतान नियमानुसार देय होगा।
   - **A.** सर्विस चार्ज की दर 3.85 प्रतिशत न्यूनतम होगी।
   - **B.** सफल निविदा का मूल्यांकन प्रति सुरक्षा प्रहरी सर्विस चार्ज के आधार पर किया जायेगा।
   - **C.** उपर्युक्त आधार पर सफल बोली दाता **(L-1)** का निर्णय नहीं हो पाने की स्थिति में गत तीन वित्तीय वर्षों **(22-23, 23-24, 24-25)** में अधिक औसतन टर्न ओवर वाले बिडर का सफल **(L1)** माना जाएगा।
6. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति इस सर्विस अनुबन्ध को किसी अन्य दूसरे पंजीकृ त संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति को या व्यक्ति को न तो किराये पर ही देगा और नहीं सब्लेट/हस्तान्तरण करेगा।
7. यह अनुबन्ध एक वर्ष तक की अवधि के लिये होगा। एक वर्ष की अवधि समाप्त होने पश्चात् दोनों पक्षों के मध्य किसी प्रकार का विवाद/न्यायिक एवं अन्य बकाया नहीं होने की स्थिति में व संस्था की सेवाए संतोषजनक होने पर दोनों पक्षों की सहमति से अनुबन्ध को नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा।

8. अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करने पर पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति का सर्विस अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार निगम का होगा, जिसके लिये नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

9. जिस सफल बोली लगाने वाले के प्रस्ताव को निगम द्वारा स्वीकार किया जावेगा, उसे निगम ईकाई स्तर पर, स्वयं के खर्चे से 15 दिवस के भीतर एक सर्विस अनुबन्ध पत्र नियमानुसार निष्पादित करना होगा जिसका प्रारूप संलग्न है।

10. बोली लगाने वाले द्वारा दिये गये कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

11. किसी भी बोली को स्वीकृत करना निगम के लिये बाध्यकारी नहीं है तथा किसी भी बोली को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार निगम को होगा।

12. यदि किसी संस्थान/व्यक्ति/फर्म के विरुद्ध निगम का राशि बकाया/विचाराधीन है, तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा।

13. सुरक्षा प्रहरियों की मांग किये जाने के तीन दिवस में द्वितीय पक्ष को आवश्यकतानुसार सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध कराने होंगे। यदि संवेदक द्वारा कार्यादेश में वर्णित कार्य सम्पादन हेतु पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं करावाये जाते है तो उपलब्ध करावे गये सुरक्षा प्रहरियों की कुल अनुमोदित वेतन देयक राशि के आधार पर गणना की जाकर 10 प्रतिशत राशि शास्ति के रूप में बिल से कटौती की जायेगी। संवेदक को वास्तव में उपलब्ध कराये गये जॉब कार्य का संबंधित प्रभारियों द्वारा प्रमाणित उपस्थिति का ही भुगतान किया जायेगा। यदि सिविल सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध नहीं कराये जाते है तो निर्धारित अवधि पश्चात् निगम अन्य व्यवस्था करने अथवा अनुबन्ध समाप्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।

14. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को नियमानुसार दिया जाने वाला वेतन उनके द्वारा खोले गये बैंक खाते में हर माह की सात तारीख तक आवश्यक रूप से ठेकेदार द्वारा जमा कराया जावेगा चाहे निगम से किसी भी कारण से ठेकेदार को देरी से भुगतान प्राप्त क्यों न हो। यदि ठेकेदार द्वारा देरी से भुगतान किया जाता है तो रु 200/– प्रतिदिन की दर से शास्ति लगाई जायेगी। किसी कारण वश यदि ठेकेदार को निगम से भुगतान देरी से प्राप्त होता है तो उसके लिये ठेकेदार को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

15. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति द्वारा निगम को सर्विस अनुबन्ध पर उपलब्ध कराये जाने वाले सुरक्षा प्रहरी को आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 60 वर्ष ही होगी। न्यूनतम कद 5 फीट 6 इंच का हो तथा दृष्टि चश्में सहित 6–6 की हो। असमक्षम सुरक्षा प्रहरी को सुरक्षा में स्वीकार नहीं किया जावेगा।

16. सफल बोली दाता (अनुबन्धित फर्म) द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सुरक्षा प्रहरियों की सेवा हेतु प्रति सुरक्षा प्रहरी प्रतिमाह कार्य हेतु निगम द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक एवं पी.एफ., ईएसआई, सर्विस चार्ज एवं जी एस टी की राशि का भुगतान सफल बोली दाता (अनुबन्धित फर्म) को किया जायेगा। सफल (अनुबन्धित फर्म) द्वारा सम्बन्धित सुरक्षा प्रहरी के बैंक खाते में ही पारिश्रमिक राशि हस्तान्तरित की जावेगी।

17. सफल बोली दाता के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये सुरक्षा प्रहरी के पी.एफ/ ईएसआई/स्कीम के अनुसार कर्मचारी अंशदान एवं सेवा प्राप्तकर्ता/नियोक्ता का अंशदान सफल बोली दाता के द्वारा ही जमा कराकर प्रमाण की प्रति निगम के कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी। (आगामी माह का भुगतान चालान की प्रति प्रस्तुत करने पर ही देय होगा) नियोजित सुरक्षा प्रहरी के संबध में ईपीएफ व ई.एस. आई. रिटर्न दाखिल करने का पूर्ण दायित्व सेवा प्रदाता/अनुबन्धित फर्म का ही होगा। नियोजित सुरक्षा प्रहरी के ईपीएफ/ ई.एस.आई. संबंधित समस्त हित/लाभ के संबध में भी उत्तरदायित्व सेवा प्रदाता/ अनुबन्धित फर्म का ही होगा।

18. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति द्वारा आयकर कटौती से मुक्त होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा संस्था के देयक (बिल) से नियमानुसार भुगतान में स्रोत पर आयकर एव अन्य वैधानिक कटौती निगम द्वारा की जावेगी।

19. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये जाने वाले सुरक्षा प्रहरियों की प्रमाणित फोटो निगम के संबंधित कार्यालय को अन्य प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराई जायेगी।

20. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये सुरक्षा प्रहरी के द्वारा सुरक्षा सम्बन्धी कार्य निगम के अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार करना होगा।

21. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये सुरक्षा प्रहरी ना तो कोई यूनियन बना सकते हैं और ना ही किसी यूनियन में भाग ले सकते हैं।

22. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये जाने वाले सुरक्षा प्रहरियों की संख्या में कमी/वृद्धि करने का अधिकार निगम को होगा, अर्थात् आवश्यकता नहीं होने पर सुरक्षा प्रहरी को पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों सहकारी समिति को वापस भेजने एवं आवश्यकता होने पर अतिरिक्त सुरक्षा प्रहरी की मांग करने का अधिकार निगम को होगा।

23. सरकार द्वारा पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति का अनुज्ञा पत्र रद्द किया जाता है या मान्यता पर रोक लगाई जाती है, तो संबंधित संस्था तुरन्त निगम को सूचित करेगी तथा सूचना मिलने पर तुरन्त अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा।

24. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सुरक्षा प्रहरी पूर्व में निगम सेवा से सेवापथक अथवा किसी अन्य एजेन्सी के अनुबंध बतौर अन्य कारणों से निष्कासित हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा पाये जाने की स्थिति में तुरन्त अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा तथा कार्य सम्पादन प्रतिभूति को जब्त कर लिया जावेगा।

25. देय एजेंसी सर्विस चार्ज का भुगतान निगम द्वारा पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति को किया जायेगा। इस हेतु पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति द्वारा भुगतान का प्रमाणिक देयक प्रस्तुत किया जायेगा।

26. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति अनुबंध समाप्त करना चाहे तो उसे एक माह पूर्व निगम को नोटिस देना होगा। नोटिस नहीं दिये जाने की स्थिति में कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

27. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति से किये जाने वाले सर्विस अनुबंध को निगम द्वारा 7 दिवस का नोटिस देकर कभी भी समाप्त किया जा सकेगा।

28. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति की ओर से दिया गया कोई सशर्त प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

29. औद्योगिक विवाद अधि. 1974 के प्रावधानों के अनुसार नियोजित सुरक्षा प्रहरियों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व सेवा प्रदाता/अनुबन्धित फर्म का ही होगा।

30. यह कि अनुबन्ध क्रियान्वयन शर्तों एवं विवेचना के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामलें के निपटारे के लिये निम्नानुसार प्रावधान रहेगाः—

DISPUTE RESOLUTION :- Dispute Resolution: Any dispute or difference whatsoever arising between the parties out of or relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof, shall, in the first instance, be resolved by referring such dispute or difference to the Standing Committee constituted vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No. HO/Law/Gen/17/781 dated 03.10.2017. The Standing Committee so constituted shall ensure full compliance with the office order referred to above.

Any dispute/objection regarding the conditions mentioned in all the tenders/ contracts/agreements issued by the corporation shall be filed in the competent court located in Jodhpur.

31. निविदा की शर्तें भी अनुबन्ध का भाग मानी जायेंगी।

32. RTPP Act. & Rules के प्रावधान लागू होंगे।

33. किसी भी विवाद के लिये न्यायिक क्षेत्र जोधपुर होगा।

हस्ताक्षर बोली लगाने वाला
मय मोहर

Annexure A :

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
(g) disclose conflict of interest, if any; and
(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. 'A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; ,or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. theBidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure B :

Declarations by the Bidder

(To be executed on a non-judicial stamp paper and duly notarized)

In relation to our Bid submitted to .... **[enter designation and address of the procuring entity]** for procurement of .... **[insert name of the Services]** in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated .... we hereby declare under Section 7 and 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We are eligible and possess the necessary professional, technical, financial, and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
2. I/We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government or the State Government or any local authority, as specified in the Bidding Document.
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have our affairs administered by a court or a judicial officer, not have our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
4. I/We and our directors and officers have not been convicted of any criminal offence related to their professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to their qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of the procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
5. I/We have not been/have been debarred under Section 46 of RTPP Act. In case the Bidder is debarred by any other Procuring Entity of State/Central Government or in any country in last three years then following details to be provided for each Procuring Entity:

(i) Name of Entity State/Centre or Country:
(ii) Period of debarment [start and end date]:
(iii) Reason for the debarment:

6. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition. A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or Summarized SBD Goods /Services

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

7. I/We have complied and shall continue to comply with the Code of Integrity as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, and this Bidding Document, till completion of all our obligations under the Contract. This means that any person participating in a procurement process shall –

a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

g) disclose conflict of interest, if any; and

h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Date: Signature of Bidder
Place: Name:
Designation:
Address:

Annexure C :

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is MD, RSRTC

The designation and address of the Second Appellate Authority is Chairman, RSRTC. In case, the position of Chairman, RSRTC and MD, RSRTC is held by same person then Second Appellate Authority will be BOARD OF DIRECTORS, RSRTC.

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may tile a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;

(b) provisionslimiting participation of Bidders in the Bid process;

(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) cancellationof a procurement process;

(e) applicability of the provisions of confidentiality .

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (l) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and document, if any, to the respondents and fix date of hearing.
(b) On the date fixed for hearing the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
   (i) hear all the parties to appeal present before him; and
   (ii) peruse or inspect document, relevant records or copies thereof relating to the matter.
(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

ANNEXURE- D

ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT

01. **Correction of arithmetical errors :**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis :

(i) if there is discrepancy between the unit price and the total price that is obtained multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

(ii) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

(iii) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bids does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

02. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities:**

(i) At the time of award of contract, the quantity of goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. it shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply, if the suppliers fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Suppliers.

Signature of tenderer with seal

FORM No. 1

(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of........................

Before the... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii). Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number ofaffidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

....

....

.... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

....

....

....

Place

Date

Appellant's Signature

अनुबन्ध पत्र (प्रारूप)

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक .... को (ईकाई प्रभारी का नाम व पद) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जिसे बाद में प्रथम पक्ष कहा जाएगा, और पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति ...., जिसे बाद में द्वितीय पक्ष कहा जाएगा, के मध्य लिखा जाकर अनुबन्ध किया जा रहा है।जो कि दिनांकः–..............................से..............................तक हेतु प्रभावी होगा।

यह कि प्रथम पक्ष निगम को सुरक्षा व्यवस्था हेतुभूतपूर्व सैनिक सुरक्षा प्रहरियो/सिविल सुरक्षा प्रहरियों की आवश्यकता है, और द्वितीय पक्ष एक पंजीकृत प्लेसमेंट एजेन्सी है, जो राजस्थान सरकार की अनुज्ञा/मान्यता से कुशल सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध कराती है। इस हेतु प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के मध्य निम्नानुसार नियम शर्तों पर यह अनुबन्ध तहरीर किया जाता हैः–

1. सर्विस अनुबन्ध पर लिये जाने वाले अनुमानित सुरक्षा प्रहरियो की संख्या में कमी अथवा वृद्धि करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित है।
2. सुरक्षा व्यवस्था चौबीस घण्टे (Round the Clock) तीन पारियो में व्यवस्थित रहेगी ।
3. कार्यशाला/कार्यालय में प्रवेश व निकासी के समय सामग्री एवं वाहन की जॉच की जावेगी। सम्बन्धित पंजिकाओ में प्रविष्टी अंकित की जावेगी।
4. सुरक्षा के दौरान यदि कोई सुरक्षा में कमी पाई गई या सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध नही पाया गया तो उस दिन उस पारी की भुगतान की जाने वाली राशि की दो गुणा शास्ति राशि तक भुगतान की जाने वाली राशि में से वसूल कर ली जावेगी।
5. अनुबन्धित संस्था द्वारा भेजा गया सुरक्षा प्रहरी यदि अनुशासनहीनता बरतेगा अभद्रता से पेश आयेगा, नशे की हालत में पाया जावेगा या अन्य आपत्तिजनक हरकत करता पकडा जावेगा तो उसकी अनुबन्धित संस्था/सुरक्षा प्रहरी की उस माह की देय राशि को जब्त करते हुए इसे संस्था को लौटा दिया जावेगा।संस्था को उनके स्थान पर तत्काल अन्य सुरक्षा प्रहरी तैनात करना होगा।
6. अनुबन्धित संस्था के सुरक्षा प्रहरी निर्धारित वर्दी में रहेगे नेम प्लेट,रिबन,सीटी तथा सुरक्षा हेतु हथियार आदि की व्यवस्था अनुबन्धित संस्था द्वारा ही की जावेगी। निर्धारित खाकी वर्दी में नहीं पाये जाने पर 100 (सौ रूपये) + GST प्रत्येक मामले में पेनल्टी की जावेगी।
7. अनुबन्धित संस्था द्वारा सुरक्षा हेतु भेजा गया भूतपूर्व सैनिक/सिविल सुरक्षा प्रहरी 60 वर्ष तक की उम्र का होगा जो पूर्णतया स्वस्थ एवं फिट होना चाहिए,न्यूनतम कद 5फीट 6 इंच का हो तथा दृष्टि चश्में सहित 6–6 की हो । असक्षम सुरक्षा प्रहरी को सुरक्षा में स्वीकार नही किया जावेगा। सुरक्षा प्रहरी का आठवीं पास होना अनिवार्य है जो पंजिकाओ को भली –भाँति संधारण कर सके।
8. सुरक्षा सम्बन्धी विभागीय अधिकारियो द्वारा दिये गये आवश्यक निर्देशो की पालना सुरक्षा में तैनात सुरक्षा प्रहरी द्वारा की जावेगी।
9. सुरक्षा में तैनात सुरक्षा प्रहरी को निगम परिसर में निवास की सुविधा नही दी जावेगी। वह न कोई यूनियन बना सकता है नही किसी यूनियन में भाग ले सकता है। निगम को अधिकार होगा कि ऐसा करते पाये जाने पर अनुबन्ध को तुरन्त समाप्त कर देगा।
10. निगम द्वारा सुरक्षा के लिए जो मापदण्ड बताये जायेगे उसी अनुसार अनुबन्धित संस्था द्वारा पूर्ति की जावेगी। निगम सुरक्षा आवश्यकता में किसी भी समय कमी अथवा बढोत्तरी कर सकता है। तदानुसार संस्था द्वारा इसकी तत्काल व्यवस्था करनी होगी।
11. अनुबन्धित संस्था के द्वारा भेजे गये सुरक्षा प्रहरियो के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के कोई भी वैद्यानिक दायित्व उत्पन होगे तो उसकी बाध्यता पूर्णतः संस्था पर होगी सुरक्षा समय में किसी

सुरक्षा प्रहरी की असामायिक मृत्यु या दुघर्टना हो जाती है तो उसके सम्बन्ध में सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्था की ही होगी।

12. सुरक्षा ठेका राशि पर आयकर की कटौती से मुक्त होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा संस्था के देयक (बिल) से नियमानुसार भुगतान में स्त्रोत पर आयकर एवं अन्य वैधानिक कटौती की जावेगी।
13. सुरक्षा प्रहरियो के एजेन्सी चार्जेज का देयक प्रतिमाह 10 तारीख तक दो प्रतियों में प्रथम पक्ष के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। प्रथम पक्ष कार्यालय द्वारा बिल के प्रमाणीकरण पश्चात् भुगतान द्वितीय पक्ष को भेजा जायेगा तथा उपलब्ध कराये गए सुरक्षा प्रहरियो को प्रतिमाह का भुगतान द्वितीय पक्ष के द्वारा किया जायेगा।
14. अनुबन्धित संस्था द्वारा सुरक्षा में लगाये गये सुरक्षा प्रहरियो के पी.एफ एवं ईएसआई के कर्मचारी एवं नियोक्ता अशंदान को प्रति माह सम्बन्धित विभागो में जमा कराने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी अनुबन्धित संस्था को मासिक ठेका राशि देयक का भुगतान निगम द्वारा किया जावेगा। भुगतान की व्यवस्था अनुबन्धित दर अनुसार सम्बन्धित यूनिट/कार्यालयो से की जावेगी।
15. यह अनुबन्ध प्रारम्भ में एक वर्ष तक की अवधि के लिये होगा। एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् दोनों पक्षों के मध्य किसी प्रकार का विवाद/न्यायिक एवं अन्य बकाया नहीं होने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति से अनुबन्ध को **RTPP Act& Rules** अनुसार संबधित स्तर से बढाया जा सकेगा।
16. किसी भी प्रकार के टैक्स/शुल्क/प्रभार को जमा कराने का दायित्व अनुबन्धित संस्था का होगा तथा किसी प्रकार की शास्ति/मुकदमा का दायित्व भी अनुबन्धित संस्था का ही होगा।
17. अनुबन्धोपरान्त निगम द्वारा आदेश दिये जाने पर संस्था द्वारा तय दर पर तीन दिवस में चाहे गये स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करानी होगी।
18. सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नही आवेगा अवकाश के दिनों में भी सुरक्षा व्यवस्था अनवरत लागू रहेगी। सुरक्षा प्रहरी के साप्ताहिक विश्राम के प्रयोजन से संस्था द्वारा रिजर्व स्टाफ की व्यवस्था करनी होगी।
19. निगम सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान पहुँचा तो उसकी रिपोर्ट सुरक्षा प्रहरी द्वारा तत्काल निगम अधिकारी के समक्ष पेश करनी होगी, सुरक्षा में तैनात सुरक्षा प्रहरियो की लापरवाही/कर्तव्यच्युतता से कोई हानि उत्पन्न हुई तो उसकी सम्पूर्ण वसूली ठेका बिल से की जावेगी।
20. निगम के अधिकृत अधिकारी द्वारा सुरक्षा कार्य का समय–समय पर निरीक्षण किया जावेगा तथा सुरक्षा की खामीयां को तीन दिवस में दुरस्त करने की जिम्मेदारी संस्था पर होगी।
21. अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंधन करने पर अनुबन्ध तत्काल समाप्त कर दिया जावेगा। यदि संस्था द्वारा सुरक्षा उपलब्ध कराने में असमर्थ रहती है या उसकी ओर से कोई सेवा दोष प्रकट होता है तो संस्था का अनुबन्ध पन्द्रह दिवस का नोटिस देते हुये समाप्त करके धरोहर राशि जब्त करली जावेगी।
22. सुरक्षा में लगे सुरक्षा प्रहरी को संस्था द्वारा वैद्य परिचय पत्र जारी किया जावेगा तथा उसकी प्रमाणित फोटो प्रति सम्बन्धित निगम कार्यालय को अनुबन्धित संस्था द्वारा प्रस्तुत करनी होगी।
23. सुरक्षा प्रहरियों की मांग किये जाने के तीन दिवस में द्वितीय पक्ष को आवश्यकतानुसार सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध कराने होंगे। यदि संवेदक द्वारा कार्यादेश में वर्णित कार्य सम्पादन हेतु पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नही करवाये जाते है तो उपलब्ध करवाये गए सुरक्षा प्रहरियों की कुल अनुमोदित वेतन देयक राशि के आधार पर गणना की जाकर 10 प्रतिशत राशि शास्ति के रूप में बिल से कटौती की जायेगी । संवेदक को वास्तव में उपलब्ध कराये गये जॉब कार्य का संबंधित प्रभारियों द्वारा प्रमाणित उपस्थिति के आधार पर भुगतान किया जायेगा । यदि सिविल

सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध नहीं कराये जाते है तो निर्धारित अवधि पश्चात निगम अन्य व्यवस्था करने अथवा अनुबंध समाप्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।

24. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को नियमानुसार दिया जाने वाला वेतन उनके द्वारा खोले गये बैंक खाते में हर माह की सात तारीख तक आवश्यक रूप से ठेकेदार द्वारा जमा कराया जावेगा चाहे निगम से किसी भी कारण से ठेकेदार को देरी से भुगतान प्राप्त क्यों न हो । यदि ठेकेदार द्वारा देरी से भुगतान किया जाता है तो रू0 200/– प्रतिदिन की दर से शास्ती लगाई जायेगी । किसी कारणवश यदि ठेकेदार को निगम से भुगतान देरी से प्राप्त होता है तो उसके लिए ठेकेदार को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी ।
25. अनुबन्धित संस्था द्वारा अनुबन्ध के समय जो राशि प्रतिभू राशि के रूप में निगम कोष में जमा कराई जावेगी उस राशि पर निगम द्वारा कोई ब्याज नही दिया जावेगा।
26. कार्यालय पर सुरक्षा मुहैया करायी जानी है उसका निरीक्षण कार्यालय समय में किया जा सकता है । इसमें परिवर्तन का पूर्ण अधिकार निगम के पास होगा ।
27. निगम परिसर जहॉ पर सुरक्षा मुहैया कराई जानी है वहा संस्था के सुरक्षा प्रहरी द्वारा प्रत्येक वाहन के आगमन एवं निकास पर उसका भौतिक निरीक्षण किया जावेगा, कोई आपत्ति जनक/ अनाधिकृत सामान वाहन के जरिये परिसर में आ–जा नही रहा है। इसकी जिम्मेदारी से जॉच की जावेगी।
28. निगम परिसर के सम्पूर्ण क्षेत्र की सुरक्षा की जावेगी, किसी भी तरफ से कोई अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले को रोका जावेगा तथा निगम का सामान अनाधिकृत रूप से परिसर से बाहर नही जायेगा इसमें पूर्ण सतर्कता बरती जायेगी ।
29. कार्यशालाओ में वाहन के आगमन पर सुरक्षा प्रहरी द्वारा यह देखा जायेगा कि वाहन में चालक द्वारा कोई नुकसान करके तो नही लाया गया है तथा वाहन का कोई पार्ट/फिक्सर, स्टेपनी आदि गायब तो नही है। नुकसान की रिपोर्ट लिखित में प्रभारी अधिकारी को दी जावेगी।
30. निगम परिसर में किसी भी चोरी डकैती आदि की वारदात में निगम को हुए नुकसान के लिए अनुबन्धित संस्था जिम्मेदार होगी उसकी भरपाई अनुबन्धित संस्था को करनी होगी।
31. राजस्थान सरकार द्वारा अनुबन्धित संस्था का अनुज्ञा पत्र रद्द किया जाता है या मान्यता पर रोक लगाई जाती है, तो सूचना मिलने पर तुरन्त अनुबन्ध समाप्त कर दिया जावेगा।
32. बस स्टेशन पर खडी/पांर्किग वाली वाहनो की सुरक्षा में यह पूरा ध्यान रखा जायेगा कि किसी बस में ज्वलनशील अथवा विस्फोटक सामग्री तथा बम आदि रखा हुआ तो नही है।
33. अनुबन्धकर्ता संस्था द्वारा सुरक्षा हेतु भेजे गये सुरक्षा प्रहरी अग्निशमन यंत्र के प्रयोग के ज्ञाता होने चाहिए तथा सुरक्षा कार्य में प्रवीण होने चाहिए।
34. अनुबन्धित संस्था के द्वारा सुरक्षा में भेजे गये सुरक्षा प्रहरियो द्वारा निम्न कार्यवाही भी सम्पादित की जावेगी।
    i. सुरक्षा व्यवस्था हेतु आवश्यक समस्त पंजिकाए संधारित की जावेगी (वाहन के आवागमन, वाहन क्षति, स्थानीय खरीद बाहर जाने व आने वाली सामग्री चाबी के आदान–प्रदान एवं चाबियो की जिम्मेदारी,ड्यूटी पंजिका, संपत्ति/सामग्री के नुकसान वाहनो की सील लगाने आदि की पंजिकाए)
    ii. कार्यशाला में आने व जाने वाले कर्मचारियो/बाहरी आगन्तुको की तलाशी ली जावेगी।

iii. कार्यशाला / कार्यालयो से बाहर जाने वाली एवं बाहर से आने वाली सामग्री की अभिलेखो से मिलान करते हुए पंजिका में संधारण किया जावेगा।यह देखा जावेगा कि ट्रक के आगमन पर भी सील की जाँच की जावेगी ।

iv. अवकाश के दिन कार्यालय एवं कार्यशाला में प्रवेश करने वाले कर्मचारियो का पंजिका में इन्द्राज कर इनके हस्ताक्षर करवाये जावेगे।

v. राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में सुरक्षा प्रहरी द्वारा निर्धारित सभी राष्ट्रीय कर्तव्यो का सवंहन किया जावेगा।

vi. किसी भी अपरचित / संदेहास्पद सुरक्षा प्रहरी की पहचान की पुष्टि न होने पर कार्यालय / कार्यशाला में प्रवेश नही दिया जावे।

vii. डीजल पम्प,टायर प्लान्ट एवं कार्यशालाओ में मशीनो की सुरक्षा पर पैनी निगाह रखी जावेगी।

viii. निगम परिसर में गुंडागर्दी / श्रमिक संगठनो की गति विधियो की जानकारी गोपनीय रूप से निगम के स्थानीय नियन्त्रक अधिकारी को देनी होगी।

ix. परिसर में आग लगने पर तत्काल फायर ब्रिगेड एवं पुलिस को बुलवाने की जिम्मेदारी होगी।

x. समय–समय पर सुरक्षा से सम्बन्धित जारी विभागीय आदेशो की पालना की जावेगी।

35. सुरक्षा स्थल पर प्रत्येक 8 घण्टे की पारी उपरान्त सुरक्षा प्रहरी बदला जावेगा।एक सुरक्षा प्रहरी कार्य तभी छोडेगा जब दूसरा सुरक्षा प्रहरी डयूँटी पर आ जाता है, और अपना चार्ज सम्भाल लेता है। चार्ज के आदान प्रदान हेतु पंजिका संधारित की जावेगी जिसमें परस्पर हस्ताक्षर किये जावेंगे जो हमेशा कार्यालय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी ।

36. सुरक्षा की रात्रि डयूँटी में सुरक्षा प्रहरी द्वारा प्रत्येक आधे–आधे घण्टे में सुरक्षा हेतु नियत परिसर में गस्त लगायी जावेगी।

37. निगम द्वारा किसी पारी में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने के लिए कहा जावे तो ठेकेदार द्वारा उसकी तुरन्त व्यवस्था की जावेगी। संस्था को प्रदान किये जाने वाला आदेश संबधित कार्यालय से जारी किया जावेगा।

38. संस्था को अनुबन्ध के समय दिये गये आदेशानुसार प्रहरियो की संख्या के आधार पर प्रति सुरक्षा प्रहरी निर्धरित पारिश्रमिक राशि सिविल सुरक्षा प्रहरी कार्य सम्पादन प्रतिभू राशि 10000 रू. एंव प्रति भू0सैनिकसुरक्षा प्रहरी कार्य सम्पादन प्रतिभू राशि 18500 रू. Performance Security Deposit के बतौर जमा करानी होगी डीडी / बैकर्स चैक / बैंक गारन्टी / एफडीआर ....,के नाम देय होगी।

39. निगम द्वारा संस्था के कर्मियो को जो निगम में सुरक्षा में तैनात है उन्हे मासिक भुगतान में अनियमितता की शिकायत का सत्यापन होने पर संस्था के साथ किये गये अनुबन्ध को तुरन्त समाप्त करते हुए ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा। सुरक्षा प्रहरियों की सेवा हेतु प्रति सुरक्षा प्रहरी प्रतिमाह कार्य हेतु निगम द्वारा निर्धारित दर से भुगतान किए जाने परसंस्था द्वारा भुगतान सुरक्षा प्रहरी के बैंक खाते में ही पारिश्रमिक राशि हस्तानांतरित की जावेगी। पारिश्रमिक सुरक्षा प्रहरी के बैंक खाते में ट्रांसफर का प्रमाण आगामी माह के बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा। तभी निगम द्वारा देयक का भुगतान किया जावेगा।

40. संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये सुरक्षा प्रहरी का दायित्व होगा कि सुरक्षा के दौरान निगम को संभावित नुकसान पहुँचाने वाले घटको की जानकारी ध्यान में आवे तो निगम के मुख्यसुरक्षा अधिकारी, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर को गोपनीय रूप से सूचना देगे।

41. निगम द्वारा प्रतिमाह ईएसआई व पीएफ के नियोक्ता अशंदान एवं कर की राशि जो संस्था को प्रदान की जावेगी वह समस्त राशि नियमानुसार सम्बन्धित विभाग में जमा कराने की जिम्मेदारी संस्था की होगी। निगम से प्राप्त की गई उक्त प्रकार की राशि का कोई भी हिस्सा स्वयं के पास रखे जाने पर संस्था के विरूद्व प्राप्त शिकायत व सत्यापन पर संस्था को ब्लैक लिस्टेड घोषित करते हुए संस्था के विरूद्व कानूनी कार्यवाही हेतु लिखने के लिए निगम स्वतंत्र होगा।

42. सिविल सुरक्षा प्रहरी के भुगतान में राज्य के श्रम विभाग द्वारा यदि वर्तमान में निर्धारित दर 10,000/– रू0 से अधिक की वृद्धि की जाती है तो की गई वृद्धि उसी दिनांक से उसी अनुरूप बढ़ी हुई मान्य होगी) । राज्य से बाहर स्थित निगम आगारों/ईकाईयों पर संबंधित राज्य के श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दरें मान्य यदि अन्य राज्यों की दरें 10000/– से कम है तो उस स्थिति में न्यूनतम 10000/– रू0 देय होगी । श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार किया जावेगा व भूतपूर्व सैनिकों को सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार के आदेशानुसार देय दर पर पूर्व सैनिक सुरक्षा कर्मियो के सम्बन्ध में ठेका राशि का भुगतान किया जावेगा तथा राज्य सरकार के निर्देशो की पालना की जावेगी। वर्तमान दरो अनुसार दरे निम्न प्रकार रहेगी:–

निर्धारित मासिक पारिश्रमिक राशि–

क्र. सं.	मद	भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा प्रहरी(मुख्य सुरक्षा प्रहरी) के सम्बन्ध में संस्था को दी जाने वाल ठेका राशि का प्रति व्यक्ति ब्योरा (रूपयों में)	सिविल सुरक्षा प्रहरी के सम्बन्ध में संस्था को दी जाने वाल ठेका राशि का प्रति व्यक्ति ब्योरा (रूपयों में
1	देय पारिश्रमिक ठेका राशि मासिक	18500/–	10000/–
2	संस्था का कमीशन (क.सं.1 की राशि पर) पारिश्रमिक पर	....	....
3	पी.एफ. का नियोक्ता अशंदान (पारिश्रमिक राशि का नियमानुसार)	....	....
4	ईएसआई नियमानुसार (नियोक्ता अशंदान) कुल पारिश्रमिक राशि पर	कसं. 1 व 2 की राशि पर	कसं. 1 व 2 की राशि पर ... ...
5	नियमानुसार कर (योग की राशि पर)	कसं. 1 से 5 तक की राशि पर	कसं. 1 से 5 तक की राशि पर ....
	योग	....	....

यदि कोई श्रमिक पूर्ण माह के स्थान पर कुछ दिवस ही कार्य करता है तो दैनिक मजदूरी की गणना मासिक मजदूरी की दर मे 26 का भाग देकर की जावेगी।

43. अनुबंध अवधि के दौरान दोनो पक्षकारो द्वारा भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

44. संस्था द्वारा अपना देयक सम्बन्धित यूनिट कार्यालय में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक पेश करना होगा तथा प्रथम पक्ष द्वारा देयक का भुगतान कर दिया जावेगा।

45. सुरक्षा व्यवस्था मे किसी प्रकार का कोई व्यवधान नही आवेगा। अवकाश के दिनों मे भी सुरक्षा व्यवस्था अनवरत लागू रहेगी। सुरक्षा प्रहरी के साप्ताहिक विश्राम के प्रयोजन से संस्था द्वारा रिर्जव स्टॉफ की व्यवस्था करनी होगी।

46. सुरक्षा में खामी रहने की दशा में द्वितीय पक्ष के प्रतिनिधी प्रहरी को जिम्मेदार ठहराने से पूर्वप्रारम्भिक जॉच प्रथम पक्ष की ओर से सम्पन्न की जावेगी। जो द्वितीय पक्ष को मान्य होगी।

47. इस बिड के सम्बन्ध में अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई न्यायालय विवाद किसी सक्षम न्यायालय में उत्पन्न हो कर चल रहा हो और माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई दिशा निर्देश पारित किया जाए तो माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना / ठेकेदार / संस्था द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी। चाहे वह प्रकरण में पक्षकार नही भी हो।

48 निगम द्वारा किसी भी परिस्थिति में यदि सुरक्षा व्यवस्था का कोई विकल्प प्राप्त कर लिया जाता है तो एक माह पूर्व नोटिस के बाद अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा ।

49. सुरक्षा कार्य / स्थल / परिसर में यदि कोई कमी होती है अथवा सुरक्षा कार्य कम होता है तो तदनुसार उसी अनुपात में ठेके की राशि कम जा सकती है।

50. बिड की सभी शर्ते अनुबन्ध का भाग होगी।

51. यह कि अनुबंध कियान्वयन शर्तो एवम विवेचना के संबंध में दोनो पक्षों के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामलें के निपटारें के लिये निम्नानुसार प्रावधान रहेगा:-

DISPUTE RESOLUTION:

(1.) Dispute Resolution:- Any dispute or difference Whatsoever arising between the parties out of or relating to, the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof, shall in the first instance, be resolved by-referring such dispute or difference to the standing corporation's office order no. Ho/Law/Gen/17/781 date 03-10-2017. The standing Committee so constituted shall ensure full compliance with the office order referred to above.

(2.) Any dispute/objection/regarding the conditions mentioned in all the tenders/contracts/agreements issued by the corporation shall be filed in the competent court located in Jaipur.

52. किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।

53. RTPPACT& Rules के नियम अनुबन्ध पर यथावत लागू होगें।

54. पंजीकृत संस्था / भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये सुरक्षा प्रहरी के द्वारा सुरक्षा सम्बंधी कार्य निगम के अधिकारियों द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुसार करना होगा।

55. पंजीकृत संस्था / भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति के द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये सुरक्षा प्रहरी ना तो कोई यूनियन बना सकते हैं तथा ना ही किसी यूनियन में भाग ले सकते हैं।

बिडदाता के हस्ताक्षर
दिनांक
ठेकेदार / संस्था का नाम
संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने
वाले का नाम एव पद नाम
दूरभाष संख्या कोड सहित
मोबाईल नम्बर

परिशिष्ट–1

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

तकनीकी बिड प्रपत्र

क्र.सं.		
1.	बिड आमंत्रित करने वाला विभाग	रा.रा.प.प. निगम
2.	बिड का संदर्भ	बिड सूचना क्रमांक 2026 / .... दि.....................
3.	बिड अधीन कार्य का विवरण	सुरक्षा शाखा का सम्पूर्ण कार्य ....में सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध करवाना व सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित सम्पूर्ण कार्य।
4.	बिड प्राप्त करने वाला अधिकारी	................(ईकाई का नाम)रा0रा0प0प0निगम, ... ।
5.	बिड जमा / अपलोड कराने की अंतिम दिनांक व समय	
6.	तकनीकी बिड खोले जाने की दिनांक व समय	
7.	बिडदाता ठेकेदार / संस्था का विवरण	नामः– पताः– ई–मेल आई डीः– मो.नं.:– प्राधिकृत व्यक्ति का नाम व पदनामः–
8.	बिड शुल्क राशि .... / –(Inc.GST)रू.. का विवरण	बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट....................दिनांकः–............. ....
9.	न्यूनतम बोली प्रतिभूति रू. .... / – (अक्षरे .... सौ रू. मात्र) का विवरण	बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट....................दिनांकः–.............. ....
10.	क्या बोली दाता फर्म / संस्था आवश्यक सभी जगह पंजीकृत है? यदि हां तो पंजीयन क्रमांक व दिनांक, पंजीयन कार्यालय / प्राधिकारी विधि, जिसके तहत् पंजीकृत है। पंजीयन की वैद्यता समाप्ति दिनांक	
11.	सुरक्षा सम्बंधित कार्य / इस क्षेत्र में गत तीन वर्ष का वार्षिक टर्न ऑवर औसतन..................	वर्ष | विभाग / कार्यालय / भवन | वार्षिक राशि

	(निविदा लागत का 50 प्रतिशत) के कार्य करने का अनुभव आवश्यक है,का विवरण।			
12.	कॉलम 11 मे वर्णित अनुभव के तीन वर्षो के लिए संबंधित विभाग से प्राप्त लाइसेंस नम्बर			
13.	आयकर पेन (PAN) नम्बर प्रति सलंग्न			
14.	जीएसटी पंजीयन नम्बर प्रति सलंग्न			
15.	संबंधित विभाग पंजीयन नम्बर प्रति सलंग्न			
16.	हैसियत प्रमाण–पत्र सक्षम राजस्व अधिकारी (जिला कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलेक्टर, तहसीलदार) अथवा चार्टेड अकाउन्टेंट द्वारा जारी प्रमाण–पत्र अथवा बैंक गारण्टी प्रति सलंग्न दिनांक .... या इसके बाद निवल मूल्य (Net Worth) 50 लाख या उससे अधिक हो			

हस्ताक्षर बिडदाता

बिडदाता द्वारा घोषणाः–

17. यह है कि मैं/हम...रा.रा.प.प.निगम .... द्वारा प्रकाशित बिड सूचना कमांक... के प्रतिउत्तर में रा.रा.प.प.निगम .... सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध करवाना व सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित सम्पूर्ण कार्य के लिए एतद् द्वारा तकनीकी बिड प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं। तकनीकी बिड के साथ निम्न लिखित दस्तावेज/प्रपत्र भी प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे है।

विवरण पृष्ठ संख्या

1...

2...

3...

4...

5...

6...

7...

8...

9...

18. यह की इस बिड के सम्बन्ध में शर्तें परिशिष्ट–3 मैने/हमने अच्छी तरह से पढ व समझ ली है। जिसके प्रमाणस्वरूप इस शर्त प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिए है। मैं/हम इन शर्तों की पालना करने के लिए वचनबद्ध हूँ/है।

19. यह की इस बिड के तहत् अनुबन्ध होने पर बिड अधीन कार्य कराने के लिए नियोजित किये जाने वाले कार्मिक के लिए रारापपनिगम नियोजन के सम्बन्ध में अन्य प्रलाभों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

20. यह की इस बिड के तहत् अनुबन्ध से पूर्व मैं/हम संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी से श्रमिक ठेका लाइसेंस प्राप्त कर प्रस्तुत कर दूंगा/देंगे और जितनी संख्या में श्रमिकों के लिए लाइसेंस होगा उतनी संख्या में श्रमिकों का सामूहिक बीमा मेरे/हमारे द्वारा कराया जावेगा।

21. मुझे/हमें जानकारी है कि तकनीकी बिडों के परीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बाबत् कार्य योजना उपलब्ध संसाधनों का प्रस्तुतीकरण किया जाना है। जिसके लिए किसी प्रकार के उपकरण आदि की व्यवस्था रारापपनिगम द्वारा नहीं करवाई जावेगी।

22. कार्यालय भवन एवं परिसर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए न्यूनतम .... व्यक्ति (........ सम्मिलित पूर्व के मा.न्यायिक प्रकरण अनुसार)पूर्ण कालिक लगाए जाएंगे।

23. कार्यालय भवन एवं परिसर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए गए कार्मिकों को श्रम कानूनो के तहत न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान बिडदाता संस्था/ठेकेदार अनिवार्य रूप से किया जावेगा। जिसका शपथ पत्र प्रतिमाह बिल के साथ प्रस्तुत किया जाने पर ही भुगतान किया जायेगा।

24. यह कि मेरी/हमारी तरफ से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं रखी जावेगी।

नोटः–

तकनीकी बिड के उपरोक्त बिन्दु संख्या 7 से 18 तक तकनीकी बिड के मूल्यांकन की अनिवार्य शर्त है जिसके आधार पर बिडदाता संस्था/ठेकेदार की पात्रता का निर्णय किया जावेगा।

बिडदाता के हस्ताक्षर
दिनांकः—
ठेकेदार / संस्था का नामः—
संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर
करने वाले का नाम व पद नामः—
दूरभाष संख्या कोड सहितः—
मोबाइल नम्बरः—
ई—मेल आईडीः—

परिशिष्ट–2

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

वित्तीय बिड–प्रपत्र

क्र.स.		
1	बिड का संदर्भ	बिड सूचना क्रमांक 2026/...... दिनांक ....
2	बिड अधीन कार्य का विवरण	सुरक्षा शाखा का सम्पूर्ण कार्य, सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध करवाना व सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित सम्पूर्ण कार्य।
3	बिड प्राप्त करने वाला अधिकारी	ईकाई का नाम
4	बिडदाता/ठेकेदार/संस्था का विवरण	नाम पता.. .... ई–मेल आई डी मोबाईल नम्बर अधिकृत व्यक्ति का नाम/पदनाम
5	उपरोक्त बिन्दु संख्या–2 पर वर्णित समस्त कार्य के लिये संस्था का कमीशन (सभी करों सहित)	BOQ
नोट	उपरोक्त वर्णित प्रतिमाह की राशि में वे सभी प्रकार के कर, लेवी शुल्क, प्रावधायी निधि बीमा आदि की राशि शामिल है। जो इस बिड अधीन अनुबन्ध के तहत कराये जाने वाले कार्य /ठेके पर लागू है अथवा /भविष्य में लागू हो सकते है । राजस्थान परिवहन निगम .... द्वारा उपरोक्त राशि के अतिरिक्त कोई भी भुगतान नहीं किया जावेगा और सभी प्रकार के कर लेवी शुल्क प्रावधायी निधि बीमा जी.एस.टी आदि की राशि ठेकेदार /संस्था द्वारा ही वहन किये जावेगें। यदि नियमानुसार किसी प्रकार के कर लेवी या शुल्क की स्त्रोत पर कटौती की जानी अनिवार्य है तो ठेकेदार/संस्था के बिल के भुगतान के समय बिल की राशि में से राजस्थान परिवहन निगम ऐसी कटौतियॉ कर सकेगा ।	

बिडदाता द्वारा धोषणा

यह कि उपरोक्त वर्णित दर एवं शर्ते बिड अनुमोदन पश्चात अनुबन्ध होकर कार्य प्रारम्भ करने से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी।

बिडदाता के हस्ताक्षर
दिनांक
ठेकेदार/संस्था का नाम
संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले का नाम व पदनाम
मोबाईल नम्बर
दूरभाष नम्बर कोड सहित
हस्ताक्षर बिडदाता

A. तकनीकी बोली का मूल्यांकन उपापन समिति द्वारा किया जायेगा तकनीकी बोली में सफल बोलीदाताओं की वित्तीय बोली (BOQ) खोली जायेगी। **BOQ में सर्विस चार्ज की दर 3.85 प्रतिशत न्यूनतम होगी।**

B. वित्तीय बोली में सफल बोली का मूल्यांकन प्रति सुरक्षा प्रहरी सर्विस चार्ज के आधार पर किया जायेगा।

C. उपर्युक्त आधार पर सफल बोलीदाता (L1) का निर्णय नही हो पाने की स्थिति में गत तीन वित्तिय वर्षो(22–23, 23–24, 24.–25) में अधिक औसत टर्नओवर वाले बिडर को सफल (L1) माना जाएगा।

6. पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति इस सर्विस अनुबन्ध को किसी अन्य दूसरे पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति को या व्यक्ति को न तो किराये पर ही देगा और न ही सबलेट/हस्तान्तरण करेगा।
7. यह अनुबन्ध एक वर्ष तक की अवधि के लिये होगा। एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् दोनों पक्षों के मध्य किसी प्रकार का विवाद/न्यायिक एवं अन्य बकाया नहीं होने की स्थिति में व संस्था की सेवाएं संतोषजनक होने पर दोनों पक्षों की सहमति से अनुबन्ध को नियमानुसार बढाया जा सकेगा।
8. अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करने पर पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति का सर्विस अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार निगम को होगा, जिसके लिए नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
9. जिस सफल बोली लगाने वाले के प्रस्ताव को निगम द्वारा स्वीकार किया जावेगा, उसे निगम ईकाई स्तर पर, स्वंय के खर्चे से 15 दिवस के भीतर एक सर्विस अनुबन्ध पत्र नियमानुसार निष्पादित करना होगा जिसका प्रारूप संलग्न है।
10. बोली प्रस्ताव ई–बोली के माध्यम से ऑनलाईन ही प्रस्तुत करने होंगे।
11. वित्तीय बोली प्रस्ताव ऑनलाईन BOQ में ही प्रस्तुत होगा।
12. बोली लगाने वाले द्वारा दिये गये कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
13. किसी भी बोली को स्वीकृत करना निगम के लिए बाध्यकारी नहीं है तथा किसी भी बोली को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार निगम को होगा।
14. यदि किसी संस्थान/व्यक्ति/फर्म के विरूद्ध निगम की राशि बकाया/विचाराधीन है, तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा।
15. सुरक्षा प्रहरियों की मांग किये जाने के तीन दिवस में द्वितीय पक्ष को आवश्यकतानुसार सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध कराने होंगे। यदि संवेदक द्वारा कार्यादेश में वर्णित कार्य सम्पादन हेतु पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नही करवाये जाते है तो उपलब्ध करवाये गए सुरक्षा प्रहरियों की कुल अनुमोदित वेतन देयक राशि के आधार पर गणना की जाकर 10 प्रतिशत राशि शास्ति के रूप में बिल से कटौती की जायेगी । संवेदक को वास्तव में उपलब्ध कराये गये जॉब कार्य का संबंधित प्रभारियों द्वारा प्रमाणित उपस्थिति के आधार पर भुगतान किया जायेगा । यदि सिविल सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध नहीं कराये जाते है तो निर्धारित अवधि पश्चात निगम अन्य व्यवस्था करने अथवा अनुबंध समाप्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।
16. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को नियमानुसार दिया जाने वाला वेतन उनके द्वारा खोले गये बैंक खाते में हर माह की सात तारीख तक आवश्यक रूप से ठेकेदार द्वारा जमा कराया जावेगा चाहे निगम से किसी भी कारण से ठेकेदार को देरी से भुगतान प्राप्त क्यों न हो । यदि ठेकेदार द्वारा देरी से भुगतान किया जाता है तो रू0 200/– प्रतिदिन की दर से शास्ती लगाई जायेगी । किसी कारणवश यदि ठेकेदार को निगम से भुगतान देरी से प्राप्त होता है तो उसके लिए ठेकेदार को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी ।

बोली प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक शर्ते :—

1. सर्विस अनुबंध पर लिये जाने वाले सुरक्षा प्रहरियों की संख्या निगम की आवश्यकता के अनुसार कम अथवा अधिक हो सकती है ।
2. बोली लगाने वाली पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति को
   - A. निजी सुरक्षा एजेन्सिया विनियम अधिनियम 2005 (PSARA) में पंजीकृत हो,
   - B. एक वर्ष में किसी एक माह में सरकारी/सहकारी/अर्द्धसरकारी/निगम/बोर्ड/संस्थाओं को ....सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध कराने के अनुभव हो एवं इस दौरान EPFO में अशंदान जमा करवाया गया प्रमाण पत्र स्वरूप उक्तअनुसार किसी एक माह की ECR की सत्यापित प्रति (न्यूनतम 100 मानव संसाधन) (मैन पावर) का अंशदान जमा कराये जाने की) संलग्न की जावे।
   - C. Provident Fund/ESI , ISO सर्टिफिकेट,
   - D. तीन वर्ष की आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि, बोली प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी । संस्था का गत तीन वर्ष का वार्षिक टर्न ऑवर औसतन .... रू0 (निविदा लागत का 50 प्रतिशत) होना चाहिये ।

   यदि बोली लगाने वाला/कम्पनी/संस्था द्वारा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये जाते है अथवा प्रदत्त सूचना असत्य और अपूर्ण पाई जाती है तो, इसे अयोग्यता मानते हुए उनके प्रस्ताव को निरस्त/अस्वीकार करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा ।
3. बोली के साथ बोली प्रतिभूति राशि (कुल व्यय राशि का 2 प्रतिशत) ..../—रूपये (अक्षरे .... रूपये मात्र) की डी.डी./बैंक गारंटी/एफ.डी.आर. के रूप में .... के नाम से संलग्न करनी होगी। चैक एंव नकद राशि किसी भी अवस्था में मान्य नहीं होगी । यह राशि जमा न होने की दशा में बोली स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। यह राशि प्राप्त बोली पर स्वीकृति हेतु निर्णय होने तक निगम कोष में जमा रहेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा अस्वीकृत बोलियों की राशि, बोली पर अन्तिम निर्णय होने के उपरान्त ही बिना ब्याज के लौटायी जावेगी। बैंक गारन्टी की वैधता अवधि चार माह होगी।
4. प्रति सिविल सुरक्षा प्रहरी कार्य सम्पादन प्रतिभू राशि 10000 रू.(देय पारिश्रमिक अनुसार) एंव प्रति भू0सैनिकसुरक्षा प्रहरी कार्य सम्पादन प्रतिभू राशि 18370 रू. डी.डी./बैंक गांरटी/एफडीआर के रूप में निगम के नाम से बनाकरकार्यालय में जमाकरवाना होगा एवं निगम द्वारा प्रस्तुत अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करके संबन्धित कार्यालय से अनुबन्ध करना होगा। बैंक गांरटी/एफडीआर की वैधता अवधि 15 माह होगी। उक्त राशि निगम कोष में बिना ब्याज जमा रहेगी, जो अनुबन्ध की शर्तो की समुचित पालना के पश्चात् एवं अनुबन्ध अवधि समाप्त होने पर बिना ब्याज के लौटायी जावेगी। यदि बोली लगाने वाला, प्रस्ताव स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस में निर्धारित कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है एवं निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध नहीं करता है तो उसके द्वारा जमा कराई गई बोली प्रतिभूति राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी।
5. प्रति भूतपूर्व सुरक्षा प्रहरी की सेवा हेतु निर्धारित मासिक पारिश्रमिक राशि 18370—रू प्रतिमाह देय होगी एवं सिविल सुरक्षा प्रहरी की सेवा हेतु निर्धारित पारिश्रमिक राशि 10000/— रू0 प्रतिमाह जिस पर पी.एफ व ईएसआई का भुगतान नियमानुसार देय होगा एवं सर्विस चार्ज की दर बोली के अनुसार देय होगी तथा जीएसटी का भुगतान नियमानुसार देय होगा।